

भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 1191
दिनांक 25 नवम्बर, 2019

गैस-पाइपलाइन परियोजनाओं की स्थिति

1191. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

श्री हिबी ईडन:

श्री राजू बिष्ट:

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) कसी भी राज्य के भंडार से गैस और पेट्रो लयम उत्पादों से अर्जित आय और रॉयल्टी निध से संबंधित जिले और राज्य में विकास कार्यों हेतु धनराश वनिर्दिष्ट करने के लिए पेट्रो लयम कंपनियों के लिए निर्धारित मानदंडों और नियमों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त प्रावधानों के अनुसार संबंधित पेट्रो लयम कंपनियों द्वारा वगत तीन वर्षों के दौरान देश के वभिन्न जिलों वशेषकर राजस्थान, महाराष्ट्र और तमलनाडु में विकास और अन्य कार्यों के लिए आवंटित और व्यय की गई सीएसआर निध का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार के पास गुजरात में वशेष रूप से अहमदाबाद में जल पुनर्भरण और जल संचयन के लिए उपयोग किए जाने वाली सीएसआर निध के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं या नहीं और क्या जल पुनर्भरण, जल संचयन, चेक डैम आदि के लिए सीएसआर निध का उपयोग करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या राज्य में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों ने स्वतंत्र रूप से काम किया है या कुछ एनजीओ के साथ मिलकर काम किया है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क)से (ग) सक्षम प्राधकारी के अनुमोदन के बाद ऑयल पीएसयूज जिलों में कार्यकलापों की शुरुआत करती हैं। इसके अलावा, निगम सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत, ऑयल पीएसयूज अपने कार्यकेन्द्रों के आस-पास सीएसआर संबंधी कार्यकलाप करती रहीं हैं। ऑयल पीएसयूज अपने लाभों का 2% सीएसआर परियोजनाओं के लिए निर्धारित करती रहीं हैं। स्वास्थ्य (पोषण, साफ-सफाई और पेयजल), शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण केंद्रित

पहलों और वयोवृद्धों एवं दिव्यांगजनों की देखभाल पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में चर्चित कए गए शीर्षों के तहत सीएसआर कार्यकलाप कए जाते हैं।

पछले तीन वर्षों में ऑयल पीएसयूज का सीएसआर व्यय का ब्यौरा निम्न ल खत है-

(करोड़ रुपए में)

ऑयल पीएसयूज	2016-17	2017-18	2018-19
ओएनजीसी	525.90	503.44	614.64
बीपीसीएल	90.98	166.02	177.94
एचपीसीएल	108.11	156.87	159.81
आईओसीएल	213.99	331.05	490.60
गेल	92.16	91.65	119.29
ईआईएल	11.00	14.74	10.04
ओआईएल	108.37	100.58	133.39
एनआरएल	20.70	46.24	54.85
सीपीसीएल	1.87	9.18	18.89

पछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सहित देश के व भन्न जिलों में वकास और अन्य कार्यों तथा गुजरात में जल संचय एवं जल संरक्षण कार्य के लए आवंटित नि ध एवं तत्संबंधी व्यय का परियोजना/कार्यकलाप-वार ब्यौरा संबं धत ऑयल पीएसयूज के वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

(घ) ऑयल पीएसयूज द्वारा अनुमोदित प्र क्रयाओं के अनुसार या तो स्वयं या फर केन्द्रीय/राज्य सरकारों की एजें सयों/वभागों के माध्यम से सीएसआर कार्यकलाप कए जाते हैं।
